राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.14.2002/ 5795-5801 दिनांक:- 19 JUN 2019

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक टीपीआर 9118.02.2012/1647 दिनांक 29.02.2016 द्वारा, **"राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996"** के प्रावधानान्तर्गत **श्रीमती गंगा पत्नी स्व. श्री जगदीश प्रसाद** को **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** के पद पर **रनिंग पे-बैण्ड पीबी-1; 5200-20200 (ग्रेड-पे 1700)** में दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रुप में नियुक्ति प्रदान की जाकर कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर में पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश की पालना में श्रीमती गंगा द्वारा **दिनांक 02.03.2016** को मध्याह्न पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

राज्यादेश क्रमांक प.3(7)नविवि/II/2018 दिनांक 12.04.2019 द्वारा श्रीमती गंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा परिवीक्षाकाल के दौरान उपभोग किये गये 46 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत करते हुए परिवीक्षाकाल में 16 दिवस की अभिवृद्धि की गई है। इस प्रकार श्रीमती गंगा की परिवीक्षा अवधि दिनांक 01.03.2018 के स्थान पर दिनांक 17.03.2018 को पूर्ण होती है।

अतः श्रीमती गंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा निर्धारित परिवीक्षाकाल दिनांक 17.03.2018 को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप, इन्हें दिनांक 18.03.2018 से **राजकीय सेवा में नियमित करते हुए**, राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के बिन्दु संख्या 17 के अन्तर्गत शिड्यूल I (भाग-बी) के अनुसार; चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के वर्तमान **पे-लेवल L-1** (वेतनमान, 2008 में **रनिंग पे- बैण्ड (पीबी-1) 5200-20200, ग्रेड-पे 1700**) में; निम्नानुसार **कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से, इनका मूल वेतन 17,700/- (अक्षरे रूपये सत्रह हजार सात सौ मात्र)** पर निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि दिवस	अभिवृद्धि पश्चात् परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	सेवा नियमितिकरण की दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	02.03.2016	01.03.2018	16 दिवस	17.03.2018	18.03.2018

श्रीमती गंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से नियमानुसार अन्य भत्ते भी देय होंगे। राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 13(2) के अनुसार इनकी **आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2018 को देय** होगी।

इनको परिवीक्षा अवधि के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि एवं कोई अवकाश देय नही होंगे। विद्यमान प्रावधानों के अनुसार परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत कालावधि पदोन्नति के लिए अनुभव और पात्रता हेतु गणना योग्य होगी।

19/06/2019
(आर.के.विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमशः...

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp

क्रमांक : टीपीआर 9118.14.2002/ 5795-5801 दिनांकः– 19 JUN 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर (मय सेवापुस्तिका)
2. कोषाधिकारी, अजमेर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जेडएसपी, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीमती गंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हाल प्रतिनियुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

19/06/19

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : www.urban.rajasthan.gov.in/ctp